**Seventeenth Loksabha**

span>

**Title: Need to strengthen 'The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019'.-laid**

**श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर):** मैं सहकारिता मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि मल्टीस्टेट्स क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज का नियामक केन्द्रीय रजिस्टार द्वारा पंजीकृत किया जाता है। समस्त मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज का नियामक केन्द्रीय रजिस्टार सहकारी समितियों का नियामक प्राधिकारी है और इनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक राज्य में होता है। राजस्थान राज्य में कुल 89 सोसायटीज द्वारा निवेशकों से राशि प्राप्त की गई। इन सोसायटीज द्वारा निवेशकों को ऊँची ब्याज दर का प्रलोभन दिया जाकर निवेश प्राप्त किया गया, परंतु इनके द्वारा निवेशकों को उनकी निवेशित राशि मय प्रतिफल के वापस नहीं लौटाकर जमाकर्ताओं के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया। मल्टीस्टेट क्रेडिट को- ऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा नियमों के उल्लंघन मद्देनजर भारत सरकार द्वारा Banning of Unregulated Deposite Schemes Act (BUDS), 2019 पारित किया गया जिसके तहत निवेशकर्ता राज्य सरकार के स्तर से इस्तगासे अधिसूचित न्यायालयों में दर्ज कराये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा BUDS Act के तहत इस्तगासे दर्ज कराये जाने हेतु राज्य के सभी जिला न्यायालयों को अधिसूचित न्यायालय घोषित कर दिया व एक पोर्टल विकसित किया गया और उक्त पोर्टल पर 89 मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के विरूद्ध 1800 करोड़ रूपये की राशि की 92000 शिकायतें प्राप्त हुई। उक्त सोसायटियों द्वारा निवेशकों के साथ की गई विश्वासघात के आधार पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये जा रहे हैं परंतु निवेशकों को उनकी निवेशित राशि का पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है इसके कारण निवेशकों में भारी रोष है व उनके द्वारा न्यायालयों की शरण ली जा रही है। कतिपय सोसायटीज में केन्द्रीय रजिस्टार द्वारा अवसायक नियुक्त किये गए हैं लेकिन अवसायक के पास पर्याप्त संसाधन न होने व विभिन्न जांच एजेंसियों द्वारा इन समितियों की सम्पत्तियों को सीज किये जाने के कारण निवेशकों को उनकी धनराशि का पुनर्भुगतान संभव नहीं हो पा रहा है।

इसलिए BUDS Act प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाऐ जाए व राज्य सरकारों को ऐसी सोसायटियों पर और अधिक नियंत्रण हेतु अधिकार दिए जाए व जिन सोसायटियों की जांच आयकर विभाग, ईडी आदि द्वारा की जा रही है उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए एक अॅथोरिटी का गठन किया जाए व एक स्थायी तंत्र विकसित किया जाए ताकि लोगों के साथ भविष्य में धोखाधड़ी नहीं हो।